प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 15 जुलाई, 2025

विषय:- जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उर्फ बाबू पुत्र मो0 इसराइल, निवासी जनपद-फतेहपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-14703/प्रोबे0-5/दया0बैठक-16-03-2022, दिनांक 09.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शमीम उर्फ बाबू पुत्र मो0 इसराइल, कोट, थाना-खखरेरू, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.1996 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल व बन्दूक से गोली मारकर वदीउज्जमा उर्फ बद्दू नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-813/2001, धारा-148, 302/149 आई0पी0सी0 में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-01, फतेहपुर के दण्डादेश दिनांक- 02.03.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05-12-2021 तक 13 वर्ष, 03 माह, 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष, 06 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के पुन: अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने पुन: अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की उम्र 52 वर्ष तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं गयी हैं।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, फतेहपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शमीम उर्फ बाबू (बन्दी संख्या-306/2006) पुत्र मो0 इसराइल, निवासी जनपद- फतेहपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-777/2025/1595(1)/22-2-2022-17(1281)/2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहपुर।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।